भारत सरकार
खान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2991
दिनांक 11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय

2991. डॉ. संबित पात्राः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए क्या सुरक्षा उपाय किए गए हैं;
(ख) क्या सरकार ने इन उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) हाल ही में घोषित श्रम सुधारों के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी चार श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मंत्रालय द्वारा किए जा रहे उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) क्या उक्त उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण और सुरक्षा के लिए स्थापित शिकायत निवारण तंत्र की व्यापक समीक्षा करने के लिए कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दूबे)

(क): खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रमों (पीएसयू) ने लागू वैधानिक प्रावधानों, डीजीएमएस दिशानिर्देशों और निर्धारित मानदंडों के अनुसरण में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों को लागू किया है। इनमें यथा लागू सुरक्षा विनियमों का अनुपालन, खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अनुसार सुरक्षा प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का प्रावधान और उपयोग, समय-समय पर चिकित्सा जांच, चिकित्सा एवं प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं का

कार्यान्वयन, मॉक ड्रिल का संचालन, और वैधानिक सुरक्षा समितियों के कार्यकरण एवं निरीक्षण शामिल हैं।

(ख): सरकार ने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित किया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक विभाग, खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा नियमित निरीक्षण, ऑडिट और रिपोर्टिंग के माध्यम से खान अधिनियम, 1952 और संबंधित नियमों वाले वैधानिक ढांचे के अनुपालन की निगरानी की जाती है और इन्हें लागू किया जाता है।

(ग): मंत्रालय के तहत सभी पीएसयू ने श्रम संहिताओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मौजूदा सेवा शर्तों, श्रम संबंधी नीतियों और आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा सहित विभिन्न उपाय किए हैं।

(घ): मंत्रालय के तहत सभी पीएसयू में निर्धारित मानदंडों के अनुसरण में कर्मचारियों की सेवा शर्तों, कल्याण और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित है। नियमित समीक्षाएं इस तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करती हैं।

*****